4065

5-4
2020
17-1-2020

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक--शिविरा/माध्य/मा–स/22418/15–17 / 285 दिनांकः 16.01.2020

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक

विषय :– रोड सेफ्टी क्लब संशोधित दिशा–निर्देश के कम में।
प्रसंग :– शासन संयुक्त सचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान,जयपुर का पत्रांक प. 24(31)शिक्षा–6/2018/पार्ट दिनांक 10.12.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र के कम में राज्य के सभी राजकीय एवंगैर राजकीय विद्यालयों (उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक) में रोड सैफ्टी क्लब का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना है तथा गठन का विवरण शाला दर्पण पोर्टल/प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर किया जाना है। क्लब के सदस्यों की बैठक प्रति माह में एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जाये, जिसमें पिछले माह किये गये कार्य एवं अगले माह किये जाने वाले कार्यो का पूर्ण विवरण दिया जाये तथा की जाने वाली गतिविधियों को प्रत्येक माह संकलित कर जिला सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ,परिवहन विभाग को अवगत कराया जाये।स्कूलों के रोड सेफ्टी क्लब द्वारा सडक सुरक्षा पर बहुत अच्छा कार्य किया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 विद्यालयों के नाम संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी को भिजवाये जाये। ताकि प्रदेश में मनाये जाने वाले सडक सुरक्षा सप्ताह के दौरान विद्यालयों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जा सके।

रोड सेफ्टी क्लब के निम्नाकित सदस्य रहेगे–:

1–रोड सेफ्टी क्लब में विद्यालयों संस्था प्रधान रोड सेफ्टी क्लब के मुख्य संरक्षक होगे तथा उनके संरक्षण में निम्नलिखित रोड सेफ्टी क्लब के सदस्य रहेगे।
2–विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति का एक प्रतिनिधि–सदस्य
3–विद्यालय प्रबन्धन समिति का एक प्रतिनिधि–सदस्रू
4–संस्था द्वारा मनोनित अध्यापक (शारीरिक शिक्षक)– समन्वयक (कोऑर्डिनेटर)
5– दो अभिभावक–सदस्य
6–यातायात सुविधा प्रदान करने वाले ऑटो/वैन/वस/यूनियन का एक प्रतिनिधि(यदि उपलब्ध हो)– सदस्य
7–कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा से एक–एक छात्र प्रतिनिधि–सदस्य

<u>रोड सेफ्टी क्लब संशोधित नवीन दिशा–निर्देश</u>

1. विधालय में रोड सेफ्टी गैलरी विकसित करना जिसमें सडक सुरक्षा संबंधित पोस्टर पेंटिग, स्लोगन, नियमावलियों एवं दुर्घटनाओं के पेपर कटिंग का प्रदर्शन किया जाये एवं प्रत्येक कक्षा को प्रत्येक माह में कम से कम 1 बार रोड सेफ्टी का अवलोकन (1 कालांश) करवाया जाए उस दौरान अध्यापक द्वारा सडक सुरक्षा जानकारी प्रदान कर बच्चों की जिज्ञासा की पूर्ति की जाए।
2. प्रार्थना सभा में सुबह छात्र–छात्राओं को सडक सुरक्षा से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण देना एवं सडक सुरक्षा पर जारी पुस्तक सडक सरिता (जिसका प्रकाशन परिवहन विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है) पढ कर सभी छात्र–छात्राओं को प्रत्येक शनिवार सुनाया जाना सुनिश्चित करें।
3. सडक सुरक्षा, यातायात नियमों पर स्लोगन, निबन्ध, वाद–विवाद एवं पोस्टर पेंटिग प्रतियोगिताऍ इत्यादि आयोजित करवाना एवं इस हेतु स्थानीय परिवहन विभाग, यातायात पुलिस एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लेना।
4. विद्यालय परिसर के 500 मीटर के दायरे में नियमानुसार सडक चिन्हों, रोड फर्नीचर तथा स्पीड ब्रेकर्स/रम्बल स्ट्रिप/जेब्रा कॉसिंग इत्यादि लगे होना सुनिश्चित करने हेतु संबंधित हितधारक विभाग को पत्र लिखे जाना।
5. छात्र–छात्राओं को यातायात नियमों एवं सुरक्षित वाहन चलाने के बारे में जागरूक, प्रशिक्षित कराना, ट्रेफिक पार्क/मोटर ड्राईविंग ट्रेक आदि का भ्रमण कराना, छात्रों द्वारा यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करना। यदि विद्यालय में कोईयातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो

Scanned by CamScanner

www.rajteachers.com

विद्यालय प्रशासन परिवहन विभाग/यातायात पुलिस को सूचित कर उचित कार्यवाही कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. विद्यालय प्रारम्भ एवं समाप्ति के समय छात्र–छात्रओं को बालवाहिनी/ऑटो/वेन चालकों/सहायकों द्वारा सुरक्षित उतारना व चढाना सुनिश्चित करना एवं विद्यालय पैदल आने वाले छात्रों को सुरक्षित सडक पार करवाना।
7. अध्यापकों, स्टाफ, छात्र–छात्राओं एवं उन्हे यातायात सुविद्या प्रदान करने वाले ऑटो/वेन बस ड्राईविंग/सहायकों सडक दुर्घटना में घायल की मदद करने हेतु गुड से सेमेरिटन, बेसिक लाइफ सपोर्ट/सी.पी. आर. एवं प्राथमिक उपचार का विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिलवाना।
8. बालवाहिनी नियमों की पालना सुनिश्चित कराना।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक
4. अपर परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग (सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), कोटा संभाग, कोटा
क्रमांक :– संनि/को/सामा–4/2020–21/ 623

दिनांक :– 17.01.2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा/बून्दी/बारां/झालावाड
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक कोटा/बून्दी/बारां/झालावाड़

मूल पत्र की प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित करें

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
कोटा संभाग, कोटा

E:\Genral letter.docx

Scanned by CamScanner

www.rajteachers.com